रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2008/कार्तिक 21, 1930

No. 594] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2008/KARTIKA 21, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 784(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

(2) आक्षेपों या सुझावों पर जो उपर्युक्त अवधि के अवसान के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

(3) इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में :

(i) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) "प्रवर्ग एल 1" से पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक की अधिकतम गति और पचास घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता के इंजन वाली कोई मोटरसाईकिल अभिप्रेत है ।"

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ञ) "प्रवर्ग एल 2" से "प्रवर्ग एल 1" से भिन्न कोई मोटरसाईकिल अभिप्रेत है।' ।

(iii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ट) "प्रवर्ग एम" से यात्रियों के वहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है।'।

(iv) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ठ) "प्रवर्ग एम 1" से यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ सीट से अनधिक सीटें हो ।' ।

टिप्पण : प्रवर्ग एम 1 के मोटर यानों के लिए बॉडीवर्क किस्म की भाषाएं समय-समय पर यथासंशोधित उपाबंध 1 के एआईएस 053 -205 के अनुसार होंगी जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाते हैं ।'।

(v) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ड) "प्रवर्ग एम 2" से यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटें है और उसका अधिकतम सकल यान भार पांच टन से अनधिक है ।'।

(vi) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ढ) "प्रवर्ग एम 3" से यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटें है और जिसका सकल यान भार पांच टन से अधिक है ।'।

(vii) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ण) "प्रवर्ग एन" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त कम से कम चार पहियों वाला ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 053-2005 के पैरा 3.2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, माल के अतिरिक्त व्यक्तियों का भी वहन कर सकता

है, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाते हैं ।'।

(viii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(त) "प्रवर्ग एन 1" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त और 3.5 टन से अनधिक सकल यान भार वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है ।'।

(ix) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(थ) "प्रवर्ग एन 2" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त और 3.5 टन से अधिक किंतु 12 टन से अनधिक सकल यान भार वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है ।'।

(x) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

' (द) "प्रवर्ग एन 3" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त् और 12 टन से अधिक सकल भार यान वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है '।

टिप्पण : मोटर यानों के लिए, समय-समय् पर यथासंशोधित एआईएस 053-2005 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त ब्यौरे और परिभाषाएं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक लागू होंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 95 के उपनियम (1) में, "तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक लागू एआईएस 044(भाग 1 से 3) : 2004" में शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "लागू भा.मा. : 15627-2005 या भा.मा. 15633-2005 या भा.मा. : 15636-2005" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 97 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) किसी ट्रैक्टर के संयोजन में किसी ट्रैलर की ब्रेकिंग प्रणाली और कार्यपालन अपेक्षाएं, तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस : 043-2005 के अनुसार होगी ।"

5. उक्त नियमों के नियम 104 में, उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि -

"प्ररूप 22

[नियम 47(छ) 115, 124(2), 126क और 127(1), 127(2) देखिए]

प्रदूषण मानक, संघटकों के सुरक्षा मानकों तथा सड़क योग्यता के अनुपालन का आरंभिक प्रमाणपत्र
(विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित यान मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वजन उत्सर्जन मापमान भी है :

यान का ब्रांड नाम

चैसिस संख्या

इंजन संख्या/ मोटर संख्या
(बैटरी चालित यानों की दशा में)

नियम 115 का उपनियम सं.

उत्सर्जन मापमान

[भारत प्रक्रम- I /II/ III/ भारत (ट्रैंप) प्रक्रम 3 आदि]

विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 22, प्ररूप में ही सम्यक् रूप से मुद्रित, विनिर्माता के हस्ताक्षर से उसके स्याही में प्रतिरूप हस्ताक्षर और विनिर्माता की मुहर लगाकर विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा ।

13. उक्त नियमों के प्ररूप 22क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप 1 अप्रैल, 2009 से रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 22क

[नियम 47(छ) 115, 124(2), 126क और 127(1), 127(2) देखिए]

प्रदूषण मानक, संघटकों के सुरक्षा मानकों तथा सड़क योग्यता के अनुपालन का आरंभिक प्रमाणपत्र
(उन यानों के लिए जिसकी बॉडी पृथक् रूप से निर्मित की जाती है)

है, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाते हैं ।'।

(viii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(त) "प्रवर्ग एन 1" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त और 3.5 टन से अनधिक सकल यान भार वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है ।'।

(ix) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(थ) "प्रवर्ग एन 2" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त और 3.5 टन से अधिक किंतु 12 टन से अनधिक सकल यान भार वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है ।'।

(x) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

' (द) "प्रवर्ग एन 3" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त और 12 टन से अधिक सकल भार यान वाला कोई मोटर यान अभिप्रेत है '।

टिप्पण : मोटर यानों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 053-2005 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त ब्यौरे और परिभाषाएं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक लागू होंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 95 के उपनियम (1) में, "तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक लागू एआईएस 044(भाग 1 से 3) : 2004" में शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "लागू भा.मा. : 15627-2005 या भा.मा. 15633-2005 या भा.मा. : 15636-2005" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 97 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) किसी ट्रैक्टर के संयोजन में किसी ट्रैलर की ब्रेकिंग प्रणाली और कार्यपालन अपेक्षाएं, तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस : 043-2005 के अनुसार होंगी ।"

5. उक्त नियमों के नियम 104 में, उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि -

(i) 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 3.5 टन से ऊपर और 7.5 टन से कम के सकल यान भार के प्रवर्ग एन 1 और प्रवर्ग एन 2 के यानों पर एक सफेद परावर्ती टेप सामने और पश्च में बॉडी के चौड़ाई के आरपार चलने वाली एक लाल परावर्ती टेप चिपकाई जाएगी । सामने और पश्च में चिपकाई गई टेपें 20 मिलीमीटर चौड़ाई से कम की नहीं होंगी तथा तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस : 090-2005 उपाबंध 4, 5 और 6 की अपेक्षा के अनुरूप होंगी ।

(ii) 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 7.5 टन सहित और उसके ऊपर सकल यान भार के प्रवर्ग एन 3 और प्रवर्ग एन 2 के यानों पर एक परावर्ती टेप बॉडी की चौड़ाई के आरपार सामने चिपकाई जाएगी । सामने चिपकाई गई टेप 50 मिलीमीटर चौड़ाई से कम की नहीं होगी और तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस : 090-2005 उपाबंध 4, 5 और 6 की अपेक्षा के अनुरूप होंगी ।

(iii) 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित ट्रेलरों/ अर्द्धट्रेलरों सहित प्रवर्ग एन 3 तथा ट्रेलरों/ अर्द्धट्रेलरों सहित 7.5 टन सहित और उससे ऊपर के सकल यान भार वाले प्रवर्ग एन 2 के यानों पर तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक, पश्च में और पार्श्व में परावर्ती कैंटर चिन्हांकन, एआईएस : 090 : 2005 के अनुसार चिपकाए जाएंगे ।

(iv) 1 अक्तूबर, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रवर्ग एम 2 और एम 3 के यानों पर सामने सफेद परावर्ती टेप और पश्च में लाल परावर्ती टेप, बॉडी की चौड़ाई के आरपार चिपकाई जाएगी । एम 3 प्रवर्ग यानों के पार्श्व में बॉडी की लंबाई के आर पार पीली परावर्ती टेप चिपकाई जाएगी । किंतु इस प्रकार चिपकाई गई टेप 50 मिलीमीटर चौड़ाई के कम के नहीं होंगे और तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस-090-2005 के उपाबंध 4, 5 और 6 के अनुरूप होंगे ।" ।

6. उक्त नियमों के नियम 122 में,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 1 अप्रैल, 2009 से रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (i) 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक एल एम और एन प्रवर्गों के मोटर यानों पर पहचान संख्या, जिसके अंतर्गत तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस 065 : 2005 के अनुसार उस पर विनिर्माण का मास और वर्ष सहित उत्कीर्णित, समुद्भृत या छिद्रित किया हुआ होगा :

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक एन प्रवर्ग के यान पर तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक एआईएस 065 : 2005 में यथाविहित विनिर्माणकर्ता की प्लेट लगी होगी । " ।

परंतु यह कि 1 अक्तूबर, 2008 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक एन प्रवर्ग के यान पर तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 065 : 2005 में यथाविहित विनिर्माणकर्ता की प्लेट लगी होगी ।

(ii) उपनियम (1क) में "संनिर्माण उपस्कर यान" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "किसी ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान" शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 124 में उपनियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) नीचे सारणी में सूचीबद्ध संघटकों के लिए किस्म, अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता को स्थापित करने की प्रक्रिया, तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 037 : 2004 के अनुसार होगी ।

सारणी

क्रम सं.	संघटक	प्रतिनिर्देश नियम	तारीख, जिसको और जिससे विनिर्मित वाहनों के लिए प्रभावी
1	2	3	4
1.	सुरक्षा कांच	नियम 100(2), (3) और (3क)	1 अक्तूबर, 2008
2.	ब्रेक होज	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 2 और 124(क) का क्रम सं. 3	1 अक्तूबर, 2008
3.	होर्न	नियम 119(1)	1 अक्तूबर, 2008
4.	टायर	नियम 95(1)	1 अक्तूबर, 2008
5.	सीएनजी विनियामक	उपाबंध ix का क्रम सं. 3	1 अक्तूबर, 2008
6.	एलपीजी वाष्पक/ विनियामक	उपाबंध viii का क्रम सं. 3	1 अक्तूबर, 2008
7.	बल्ब	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 1 और 124(क) का क्रम सं. 1	1 अप्रैल, 2009
8.	पश्च दृश्य दर्पण	नियम 125(2)	1 अप्रैल, 2009
9.	गति कम करने की युक्तियां	नियम 118(1)	1 अप्रैल, 2009
10.	सुरक्षा पेटी	नियम 125(1-क)	1 अप्रैल, 2009

		क्रम सं. 1 और 124(क) का क्रम सं. 1	
8.	पश्च दृश्य दर्पण	नियम 125(2)	1 अक्तूबर,, 2009
9.	गति कम करने की युक्तियां	नियम 118(1)	1 अक्तूबर, 2009
10.	सुरक्षा पेटी	नियम 125(1-क)	1 अक्तूबर, 2009
11.	एम और एन प्रवर्ग के लिए व्हील रिम	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 8	1 अक्तूबर, 2009
12.	एम और एन प्रवर्ग के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेत युक्तियां	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 20	1 अक्तूबर, 2009
13.	एम और एन प्रवर्ग के लिए रिटरो परावर्तक	नियम 104(4) और 104-क (vi)	1 अक्तूबर, 2009
14.	चेतावनी त्रिभुज	नियम 138(4)(ग)	1 अक्तूबर, 2009
15.	एल प्रवर्ग के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेत युक्तियां	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 32	1 अप्रैल, 2010
16.	एल प्रवर्ग के लिए रिटरो परावर्तक	नियम 104(4) और 104-क (vi)	1 अप्रैल, 2010
17.	कृषि ट्रैक्टरों और संनिर्माण उपस्कर यानों के लिए रिटरो परावर्तक	नियम 104(क) और नियम 104(ख)	1 अप्रैल, 2010
18.	कृषि ट्रैक्टरों और संनिर्माण उपस्कर यानों के लिए प्रकाश और प्रकाश संकेत युक्तियां	नियम 124(क) की क्रम सं. 2	1 अप्रैल, 2010
19.	दरवाजे के ताले और दरवाजे को रोकने के संघटक	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 16	1 अप्रैल, 2010
20.	ईन्धन टंकी	काआ 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी की क्रम सं. 7 ओर 25 के नियम 124(क) की क्रम सं. 6	1 अप्रैल, 2010
21.	परावर्ती टेप	नियम 104(1)	1 अप्रैल, 2010

परतु यह कि संघटक विनिर्माणकर्ता, ऊपर स्तंभ 4 में उल्लिखित तारीख से छः मास पूर्व अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे ।"।

8. उपनियमों के नियम 124क में उपनियम (2) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2009 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों पर फिट किए गए पश्च चेतावनी त्रिभुजों का कार्यपालन, ऐसे समय तत्स्थानी बीआईएस मानकों के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित किए जाने तक उसमें उपाबंध 6 के खंड 1.4.3 के सिवाय एआईएस : 088-2005 के अनुसार होगा ।"।

भाग–1

(विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वजन उत्सर्जन मापमान भी है :

यान का ब्रांड नाम

चैसिस संख्या

इंजन संख्या/ मोटर संख्या
(बैटरी चालित यानों की दशा में)

नियम 115 का उपनियम सं.

उत्सर्जन मापमान

(भारत प्रक्रम- I /II/ III आदि)

चैसिस विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 22-क, भाग 1 प्ररूप में ही सम्यक् रूप से मुद्रित, विनिर्माता के हस्ताक्षर से उसके स्याही में प्रतिरूप हस्ताक्षर और विनिर्माता की मुहर लगाकर विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा ।

भाग 2

(बॉडी विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ....यान (यान का ब्रांड नाम) की बॉडी का जिसका चैसिस सं......और इंजन सं.... है, निर्माण हमारे द्वारा किया गया है और वह मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है ।

बॉडी विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 22-क, भाग-2 प्ररूप में ही सम्यक् रूप से मुद्रित, विनिर्माता के हस्ताक्षर से उसके स्याही में प्रतिरूप हस्ताक्षर और विनिर्माता की मुहर लगाकर विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा ।" ।

[फा. सं. आरटी–11028/7/2007–एमवीएल]

सरोज कुमार दाश, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सं. सा.का.नि. 521((अ) तारीख 15 जुलाई, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

4386GI/08-2

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2008

G.S.R. 784(E).— Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules was published *vide* number G.S.R. 339(E), dated the 6^{th} May, 2008, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15^{th} May, 2008;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Motor Vehicles Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2008.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred as the said rules), in rule 2:-

   (i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

   ' (i) "Category L1" means a motorcycle with maximum speed not exceeding **45 Km/h** and engine capacity not exceeding 50 cc if fitted with a thermic engine or motor power not exceeding 0.5 kilo watt if fitted with electric motor.'

   (ii) for clause (j), the following shall be substituted, namely:-

   ' (j) "Category L 2" means a motorcycle other than Category L1.'

(iii) for clause (k), the following shall be substituted, namely:-

'(k) "Category M" means a motor vehicle with at least four wheels used for carrying passengers.'

(iv) for clause (l), the following shall be substituted, namely:-

'(l) "Category M1" means a motor vehicle used for carriage of passengers, comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat.

Note:- Definitions of type of body work for motor vehicles of Category M1 shall be in accordance with Annexure-I of AIS 053: 2005, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).'

(v) for clause (m), the following shall be substituted, namely:-

'(m) "Category M2" means a motor vehicle used for carriage of passengers, comprising nine or more seats in addition to driver's seat and having a maximum Gross Vehicle Weight not exceeding five tones .'

(vi) for clause (n), the following shall be substituted, namely:-

' (n) "Category M3" means a motor vehicle used for carriage of passengers, comprising nine or more seats in addition to driver's seat and having a Gross Vehicle Weight exceeding five tonnes.'

(vii) for clause (o), the following shall be substituted, namely:-

' (o) "Category N" means a motor vehicle with at least four wheels used for carrying goods which may also carry persons in addition to the goods subject to the conditions specified in para 3.2 of AIS 053-2005, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).'

(viii) for clause (p), the following shall be substituted, namely:-

' (p) "Category N1" means a motor vehicle used for carriage of goods and having a Gross Vehicle Weight not exceeding 3.5 tonnes.'

(ix) for clause (q), the following shall be substituted, namely:-

'(q) "Category N2" means a motor vehicle used for carriage of goods and having a Gross Vehicle Weight exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.'

(x) for clause (r), the following clause shall be substituted, namely:-

'(r) "Category N3" means a motor vehicle used for carriage of goods and having a Gross Vehicle Weight exceeding 12 tonnes.

Note:- For the motor vehicles, additional details and definitions specified in AIS 053-2005, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) shall be applicable .'

3. In rule 95 of the said rules, in sub-rule (1), for the letters, figures, brackets and words " AIS : 044 (Part 1 to 3) : 2004 as applicable till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)" the letters, figures and words " IS:15627-2005 or IS: 15633-2005 or IS: 15636-2005 applicable " shall be substituted with effect from **1st day of April, 2009**. ".

4. In rule 97 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, with effect from **1st day of April, 2009**, namely:-

"(3) the braking system and performance requirements of the agricultural trailer in combination with the agricultural tractor shall be in accordance with AIS : 043–2005, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986) ."

5. In rule 104 of the said rules, for the proviso to sub-rule (1), the following proviso shall be substituted, namely:-

" Provided that in respect of the vehicles of -

(i) category N1 and category N2 , 3.5 tonnes and above but less than 7.5 tonnes Gross Vehicle Weight, manufactured on and after **1st day of April, 2009**, shall be affixed at the front with a white reflective tape and at the rear with a red reflective tape running across the width of the body and the tapes affixed at front and rear shall be not less than 20 mm width and shall conform to the requirement of Annexure-4, 5 and 6 of AIS : 090 - 2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(ii) category N3 and category N2 , 7.5 tonnes and above Gross Vehicle Weight, manufactured on and after **1st day of April, 2009**, shall be affixed at the front with a white reflective tape running across the width of the body and the tape affixed at the front shall not be less than 50 mm width and shall conform to the requirement of Annexure-4, 5 and 6 of AIS : 090-2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(iii) category N3 including trailers or semi-trailers and category N2,) 7.5 tonnes and above GVW along with trailers or semi-trailers, manufactured on and after 1st **day of April, 2009**, shall be affixed with reflective contour marking at the rear and side in accordance with AIS : 090 - 2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(iv) category M2 and M3, manufactured on and after 1st October 2009, shall be affixed at the front with white reflective tape and at the rear with red reflective tape running across the width of the body and the sides of M3 category vehicles shall be affixed with yellow reflective tape running across the length of the body but tapes so affixed shall not be less than 50 mm width and shall conform to Annexures 4, 5 and 6 of AIS: 090 -2005 , till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986). "

6. In rule 122 of the said rule,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted with effect from 1st **day of April, 2009**, namely:-

" (i) Every L, M and N categories of motor vehicles, manufactured on and after 1st **day of April, 2009**, shall bear the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it, in accordance with AIS 065: 2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that every N category vehicle, manufactured on and after the 1st day of April, 2009 shall bear manufacturer's plate as prescribed in AIS 065 : 2005 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986).".

(ii) in sub-rule (1A) for the words "construction equipment vehicle" at both the places where they occur, the words "agricultural tractor and construction equipment vehicle" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (1A), after the first proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2009 namely:-

"Provided further that in case of agricultural tractor and construction equipment vehicle, the height of the chassis number embossed, etched or punched shall not be less than five millimeters for vehicles having overall length less than or equal to six metres and less than seven millimeters for vehicles having overall length more than six metres. "

(iv) in sub-rule (2), the proviso shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2009 with effect from the 1st day of April, 2009 .

7. In rule 124 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The procedure for type approval and establishing conformity of production for components, listed in table below, shall be in accordance with AIS:037– 2004 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986)

TABLE

Sl. No.	Component	Reference Rule	Effective for vehicles manufactured on and from
1	2	3	4
1	Safety Glass	Rule 100 (2), (3) and (3A)	**1st April, 2009**
2	Brake hose	Sr. No. 2 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004 and Sr. No. 3 of 124 (A)	**1st April, 2009**
3	Horn	Rule 119 (1)	**1st April, 2009**
4	Tyre	Rule 95 (1)	**1st April, 2009**
5	CNG regulator	Sr. No. 3 of Annexure IX	**1st April, 2009**
6	LPG vaporiser / regulator	Sr. No. 3 of Annexure VIII	**1st April, 2009**
7	Bulb	Sr. No. 1 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004. and Sr, No. 1 of 124 (A)	**1st October, 2009**
8	Rear view mirror	Rule 125 (2)	**1st October, 2009**
9	Speed limiting devices	Rule 118 (1)	**1st October, 2009**
10	Safety belt	Rule 125 (1-A)	**1st October, 2009**
11	Wheel rims for M & N category	Sr. No. 8 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004	**1st October, 2009**
12	Lighting and light signaling devices for M & N category	Sr. No. 20 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004	**1st October, 2009**
13	Retro-reflectors for M & N category	Rule 104 (4) and 104-A (vi)	**1st October, 2009**
14	Warning triangle	Rule 138 (4) (c)	**1st October, 2009**
15	Lighting and light signaling devices for L category	Sr. No. 32 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004	1st April 2010

16	Retro-reflectors for L category	Rule 104 (4) and 104-A (vi)	1st April 2010
17	Retro-reflector for Agricultural Tractors and Constructional Equipment Vehicles	Rule 104 (A) and Rule 104 (B)	1st April 2010
18	Lighting and Signaling devices for Agricultural Tractors and Constructional Equipment Vehicles	Sr. No. 2 of Rule 124 (A)	1st April 2010
19	Door locks and Door retention components	Sr. No. 16 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004	1st April 2010
20	Fuel tanks	Sr. No. 7 and 25 of Table of SO 1365 (E) dated 13.12.2004. Sr. No. 6 of Rule 124 (A)	1st April 2010
21	Reflective tapes	Rule 104 (1)	1st April 2010

Provided that the component manufacturers shall comply with the requirements six months prior to the date mentioned in column (4) above.".

8. In rule 124-A of the said rules, in sub-rule (2), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the performance of rear warning triangle fitted on agricultural tractors manufactured on and after the **1st day of April, 2009**, shall be in accordance with AIS : 088 – 2005 , except for clause 1.4.3 of Annexure 6 therein till such time corresponding BIS standards are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986). ".

9. In rule 125 of the said rules, with effect from the **1st day of April, 2009**,-

(i) in sub-rule (1-A), in the first proviso, for the letters, figures and words "AIS: 005 – 2000 and AIS: 015- 2000 specifications, respectively, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified" the letters, figures and words "IS: 15140- 2003 and IS: 15139-2002 respectively, shall be substituted.

(ii) in sub-rule (1-A), in the second proviso, for the letters, figures and words "AIS :005 –2000 and AIS : 015- 2000 specifications, respectively," the letters, figures and words "IS : 15140- 2003 and IS:15139-2002 respectively, shall be substituted.

(iii) in sub-rule (5), for the letters, figures and words " AIS : 016 – 2000 specifications, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified" ," the letters, figures and words "IS : 15546- 2005, " shall be substituted.

10. In rule 125 of the said rules, after sub-rule (1-A), the following rules shall be inserted, namely:-

"(1-B) on and after the 1st day of October, 2009, the front under run protective n after 1st day of October, 2009 shall comply with the requirements specified in AIS : 069 – 2006, till the corresponding BIS specifications are devices fitted on N2 and N3 categories of motor vehicles, manufactured o notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986).

(1-C) on and after the 1st day of April, 2009, the temporary cabin fitted on drive away chassis vehicles of category M and N, manufactured on and after the 1st day of October, 2008 that are driven off from the factory premises for purposes of body building, shall comply with the requirements specified in AIS : 070 – 2004 till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards, Act, 1986 (63 of 1986). "

11. In rule 138 of the said rules,-

(i) in sub-rule (4), in clause (c), in the second proviso, for the letters, words and figures " M3 and N3 " the letter and figure " M3 " shall be substituted with effect from 1st day of April, 2009,

(ii) in sub-rule (4), in clause (c), the second proviso shall be omitted with effect from 1st day of April, 2009.

12. for Form 22 of the said rules, the following Form shall be substituted, with effect from 1st day of April, 2009.namely:-

"FORM 22

[See Rules 47(g), 115, 124 (2), 126A and 127 (1), 127(2)]

INITIAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH POLLUTION STANDARDS, SAFETY STANDARDS OF COMPONENTS AND ROAD-WORTHINESS

(To be issued by the manufacturer)

Certified that the following vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder, including the following mass emission norms:

Brand name of the vehicle :-

Chassis number :-

Engine number/motor number :-

(in case of battery operated vehicles)

Sub-rule No. of rule 115 :-

Emission norms :-

[Bharat Stage-I/II/III/Bharat (Trem) Stage-III etc.]

Signature of manufacturer

Form 22 shall be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the manufacturer.".

13. For Form 22-A of the said rules, the following Form shall be substituted with effect from 1st day of April, 2009 namely:-

"FORM 22-A

[See Rules 47(g), 115, 124 (2), 126A and 127 (1), 127(2)]

INITIAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH POLLUTION STANDARDS, SAFETY STANDARDS OF COMPONENTS AND ROAD-WORTHINESS (FOR VEHICLES WHERE BODY IS FABRICATED SEPERATELY)

PART-I

(To be issued by the manufacturer)

Certified that the following vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder, including the following mass emission norms:

Brand name of the vehicle :-

Chassis number :-

Engine number/motor number :-

(in case of battery operated vehicles)

Sub-rule No. of rule 115 :-

Emission norms :-

(Bharat Stage-I/II/III etc.)

Signature of chassis manufacturer

Form 22-A, Part-I shall be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the manufacturer

PART – II

(To be issued by the body builder)

Certified that body of the vehicle.................................(brand name of the vehicle) bearing chassis number.......................and engine number…………………... has been fabricated by us and the same complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder.

Signature of Body Builder

Form 22-A, Part-II shall be issued with the signature of the body builder duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the manufacturer.".

[F. No. RT-11028/7/2007-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R. 521(E), dated the 15th July, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.